

न्यायालय श्री ए०एच० गौरी, आर०ए०एस०, कलक्टर  
एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 07/2018

- (1) भंवरराम | पि० श्री धूडाराम जाति मेघवाल निवासी - अपीलान्त  
सुरजडा, तहसील कोलायत, जिला  
(2) कैलाशराम | बीकानेर

बनाम

- (1) राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, - रेस्पोजेन्ट  
गजनेर मुकाम कोलायत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :-

1. श्री रणजीतसिंह निर्वाण, अभिभाषक, अपीलार्थीगण  
2. श्री आगल किशोर पुरोहित, पैरोकारराज



—: निर्णय :-

दिनांक :- 14-05-2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार उपनिवेशन, कोलायत-1 हाल उपनिवेशन तहसील, गजनेर मुकाम कोलायत की आज्ञा आदेश इन्तकाल संख्या 1956 दिनांक 09-02-2013 के विरुद्ध अपीलान्तगण का गलत नाम दर्ज होने के विरुद्ध बमुराद मनसुखिया करने अपील अपीलान्त मंजूर दिनांक 19-02-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

- (2) संक्षेप में अपीलमीमो के निस्तारणार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुरजडा स्थित खेत खसरा नम्बर 160/9 तादादी 50 बीघा बारानी कृषि भूमि अपीलान्तगण के पिता के नाम से चली आ रही थी जिनकी मृत्यु के पश्चात इन्तकाल संख्या 1956 दिनांक 09-02-2013 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उपनिवेशन, कोलायत-1 द्वारा अपीलान्तगण का गलत नाम इन्द्राज करने पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून न्याय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्तगण जिनका वास्तव में नाम भंवरलाल हैं के स्थान पर भंवराराम व कैलाशराम के स्थान पर कैलाश कर दिया गया है जो भारी विधिक भूल की है। अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अपील प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत

11

करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए इसे प्रथम जानकारी के आधार पर मियाद के भीतर घोषित करने एवं अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अवैध होने से निरस्त करने का निवेदन किया है।

- (3) इस अपील के नोटिस भिजवाये गये। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख (इन्तकाल संख्या 1956 ) मंगवाई जाकर पत्रावली के साथ संलग्न करवाया।
- (4) बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलमीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रथम जानकारी दिनांक 31-01-2018 से अपील मियाद अन्दर मानने का निवेदन किया। जिसका खण्डन नहीं किया गया है ऐसे में मियाद के प्रश्न पर हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार की स्वीकार की जाती है।
- (5) हमने बहस पर मनन किया तथा रिकार्ड व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। अपीलांट ने अपीलाधीन नामांतरकरण में अपने नाम में संशोधन की प्रार्थना की है जिसका आधार उसने इस न्यायालय में विचाराधीन अपील सं० 6/18 में नामांतरकरण सं० 2039 दिनांक 25.7.13 ग्राम सुरजडा में अपना नाम भंवरलाल, कैलाशराम नाम अंकित होना बताया है। उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मे नामों में भिन्नता है। जिससे अपील स्वीकार योग्य हो जाती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का इंतकाल सं० 1956 दिनांक 9.2.13 ग्राम सुरजडा खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जांच कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे।

आदेश आज दिनांक 14-05-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(१०५७० गौरी)  
कलक्टर एवं  
उपायुक्त उपनिवेशन  
बीकानेर